मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी – मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य – सूची

गुरूवार, दिनांक 13 फरवरी, 1992 (माघ 24, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, मुरैना जिले की चम्बल नहर की डिस्ट्रीब्यूट्री के फूटने से फसलों की हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजा पटेरिया, श्रीमती जयश्री बेनर्जी, सदस्य, जबलपुर के गढ़ापुरवा स्थित मंदिर से मूर्ति की चोरी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री अनूप सिंह मरावी, सभापति, याचिका समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) डा. शक्राजीत नायक, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है".

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य -

(क) जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम नरहेला से मोड़ मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) जिला मुरैना के ग्राम कस्बा जौरा में कन्या हाई स्कूल को 10+2 में उन्नयन किये जाने,
(ग) जिला मुरैना के ग्राम उदयपुरा से महादेवा तक सड़क एवं गुरहा नाले पर रपटा निर्माण, तथा
(घ) जिला मुरैना, तहसील जौरा के सोन नदी पर पुल या रपटा बनाये जाने,

(2) श्री भागचन्द सोगानी, सदस्य -

(क) जिला गुना के ग्राम बमोरी, तहसील बमोरी में तहसील कार्यालय खोलने,
(ख) जिला गुना, ग्राम बमोरी के भैसाटोरी अधूरे बांध का निर्माण कराये जाने,
(ग) जिला गुना के ग्राम बमोरी में इन्टर कालेज खोले जाने, तथा
(घ) जिला गुना से फतेहगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने,

(3) श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य -

(क) जिला रायगढ़ के ग्राम पण्डरीपानी से टुण्डरी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) जिला रायगढ़ के ग्राम सोण्डका में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, तथा
(ग) जिला रायगढ़ के ग्राम पनझर और लेबड़ा के मध्य मांड नदी पर नौका घाट संचालित कराये जाने,

(4) ठा. दरबार सिंह, सदस्य-

(क) जिला राजनांदगांव के ग्राम ढाबा में औषधालय व आयुर्वेद औषधालय खोलने,
(ख) जिला राजनांदगांव के ग्राम बीरनपुर से काशीटोला तक सड़क की मरम्मत,
(ग) जिला राजनांदगांव के ग्राम बरबसपुर के नहर नाली के फाल क्र.-2 पर हैण्डपम्प बनाने,
(घ) जिला राजनांदगांव के ग्राम बरबसपुर के नाले पर पुल निर्माण,
(च) जिला राजनांदगांव के ग्राम चकनार में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,
(छ) जिला राजनांदगांव के ग्राम ढाबा के छुई खदान में माध्यमिक शाला खोलने, तथा
(ज) जिला राजनांदगांव के ग्राम सेतवा बांध का गहरीकरण एवं अन्य समस्याओं के निराकरण,

(5) श्री नारायण सिंह, सदस्य -

(क) जिला सतना के ग्राम तिंदुहटा विकास खण्ड मैहर में माध्यमिक शाला खोलने,
(ख) जिला सतना के ग्राम मगरौरा से भेड़ा तक मार्ग बनाये जाने,
(ग) जिला सतना के ग्राम मगरौरा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने, तथा
(घ) जिला सतना के ग्राम तिंदुहटा विकास खण्ड मैहर के सरहजी नाला में लघु उद्वहन सिंचाई योजना प्रारंभ कराये जाने,

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य -

(क) जिला भोपाल के ग्राम पंचायत इनायतपुर के अन्तर्गत ग्राम बोरदा का पहुंच मार्ग बनवाने,
(ख) जिला भोपाल के काजी कैम्प में हाई स्कूल खोले जाने,
(ग) जिला भोपाल के ग्राम गेहूंखेड़ा का पहुंच मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
(घ) जिला भोपाल के हमिदिया अस्पताल में बायपास सर्जरी यूनिट प्रारम्भ किये जाने,

(7) श्री मगनलाल गोईल, सदस्य, जिला टीकमगढ़ में नवीन पुस्तकालय भवन हेतु,

(8) श्री प्रेम सिंह, सदस्य, जिला धार के ग्राम नागदा में आयुर्वेद औषधालय का भवन निर्माण कराने

के संबंध में याचिकाऐं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 5 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा — (2) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 2 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (3) श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 3 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (4) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा (शेष 30 मि.) — (1) पंडातराई (बिलासपुर) जांच आयोग, बिलासपुर, मध्यप्रदेश के प्रतिवेदन पर चर्चा- (क्रमशः)

1 घन्टा — (2) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 (भाग एक व दो) पर चर्चा.

1 घन्टा — (3) म.प्र. लोक सेवा आयोग का 31, 32, एवं 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपालः
दिनांकः 12 फरवरी, 1992